जागृत आदिवासी दलित संगठन

मध्य प्रदेश

दिनांक
24.01.2023

1. श्री शिवराज सिंह चौहान जी
   माननीय मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश शासन (द्वारा कलेक्टर, बुरहानपुर)
2. कलेक्टर महोदय, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश

ज्ञापन

माननीय महोदय,

हम बुरहानपुर जिले के आदिवासी, आज ज़िला मुख्यालय में एकत्रित हो कर इस ज्ञापन के माध्यम से आपको बताना चाहता है कि:

1. **हमारे वन अधिकार का उल्लंघन कर, कंपनियों को हमारे जंगल बेचने की साजिश नहीं सहेंगे!**

   वन अधिकार अधिनियम, 2006 के 2008 से लागू होने के पूरे 15 साल बाद भी शासन - प्रशासन द्वारा इसके क्रियान्वयन को रोक रखा है । पूरे प्रदेश में आधे से भी कम दावों का निराकारण हुआ है ! ज़िला बुरहानपुर में लगभाग **10,000 दावों का निराकरण लंबित है और लगभग 376 दावों का ही निराकरण हुआ है** ! अधिकांश गाँव में भौतिक सत्यापन तो दूर, प्रारम्भिक कार्यवाही तक नहीं हुई है ! हम जानते हैं कि जानबूझकर सरकार हमारे दावों के मामलों में निष्क्रिय है, ताकि वन अधिकार पट्टों देने का वादा बार-बार कर, उससे चुनावी फायदा लिया जा सकें, और देश के मूलनिवासी, हम आदिवासियों को ही हमेशा "अतिक्रामक" और "बाहरी" बनाए रख कर हमें दबाया जा सकें! हम जानते हैं कि सरकार बस मौका ढूंढ रही है, कि हमारी ज़मीनों को छीन कर कंपनियों को कैसे दिया जाए !

   इस संबंध में "वन संरक्षण नियमों" में बदलाव कर, ग्राम सभा की अनुमति और दावों के निराकरण की अनिवार्यता को खत्म करने के प्रयासों का हम पूर ज़ोर विरोध करते हैं ! आदिवासी और अन्य वन निवासियों को वन पट्टे दे कर अंग्रेज़ जमाने से चलते आ रहे "**ऐतिहासिक अन्याय**" खत्म करने के बजाए आप इस कानून को दरकिनार कर हम पर बेदखली, हिंसा, असुरक्षा और मजबूरी का तलवार लटका रखना चाहते हैं, जिसका हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे !

2. **ज़िला बुरहानपुर में वन अधिकार कानून और उसके प्रक्रियाओं के साथ निरंतर खिलवाड़ चल रहा है – फर्जी ग्राम सभाओं को खारिज की जाए!**

   कानून के अनुसार ग्राम सभा द्वारा ही दावों का परीक्षण करने में सक्षम है और वन अधिकार के मामलों के ग्राम सभा की गणपूर्ति में 1/3 महिलाओं सहित 50% दावेदारों की उपस्थिती अनिवार्य है । **कम से कम 50% दावेदार** भी उपस्थित होना अनिवार्य है । परंतु ,'वनमित्र पोर्टल' में कई दावेदारों के दावे ग्राम सभा स्तर से खारिज बताया जा रहा है जबकि न ग्राम सभा आयोजित हुई, या बिना गणपूर्ति एवं बिना दावेदारों के ही कागज़ पर ही ग्राम सभा दर्शा कर, अवैध रूप से दावे खारिज किए गए ! कई गाँव में भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ है ! दावों को तथाकथित रूप से

खारिज किए जाने की सूचना भी दावेदारों को नहीं दी गई है ! यह स्पष्ट है कि वन अमले द्वारा अवैध रूप से ग्राम स्तर के फर्जी कार्यवाही की जा रहा है, जिस संबंध मे उन पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए । इस फर्जीवाड़े के संबंध में कुछ विस्तृत शिकायतें इस ज्ञापन के साथ संलग्न है ।

3. **हजारों आदिवासी अपने दावे दर्ज करने से अवैध रूप से वंचित !**

   हमारे कई परिवार दावे ही नहीं लगा पाए, क्योंकि जब तक वे अपने काग़ज़ात इकट्ठे कर दावे लगाते, तब तक दावों के लिए पोर्टल बंद किया गया जा चुका था । हम आपको याद दिलाएँ कि वन मित्र पोर्टल मात्र एक प्रशासनिक व्यवस्था है और कानून अनुसार आप इस तरह किसी के दावे को रोक नहीं सकते हैं । हमें बताया जा रहा है कि ये छूटे हुए लोग ऑफ लाइन दावे लगाएँ, पर जब ऑन लाइन दावों का ही निराकारण नहीं हो रहा हैं, तो ऑफलाइन दावों के लिए कोई उम्मीद ही नहीं है ! लगभग 400 लोगों के संबंध में प्रशासन को एक साल पहले शिकायत दिया जा चुका है, उनके ग्राम सभाओं द्वारा जांच के पश्चात उनके नाम भी पुराने दावेदारों के सूची में नाम जोड़ने की सिफ़ारिश की जा चुकी है, पर आज तक उनके लिए ऑनलाइन दावों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है !

4. **पिछले कुछ महीनों में नेपानगर क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ जंगल खत्म किए गये हैं, जिसमें भ्रष्ट वन विभाग पूरी तरह संलिप्त है!**

   प्रशासन के मिलीभगत के बिना इस बड़े पैमाने पर जंगल का विनाश संभव ही नहीं है ! शासन ने भी आँख मूँद लिया है । प्रकृतिक वनों को नष्ट कर उनकी जगह प्लांटेशन के नाम पर करोड़ों रूपये निगल जाने की वन विभाग की साजिश पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए ! ज़िले के सभी वन कर्मी और अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए ! **हमें बताया जा रहा है कि कई वनकर्मी और पुलिस कर्मी गाँव वालों से पैसे ले कर उन्हें जंगल काटने के लिए उकसा रहे हैं ।** इस मामले में तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ! **वन विभाग की ताकत दावेदारों के साथ गुंडागर्दी करने तक ही सीमित है अवैध कटाई रोकने में नहीं! इस शर्मनाक स्थिति को तुरंत खत्म करना चाहिए !**

5. **वन अधिकार दावेदारों को अवैध रूप से उजाड़ने की कोशिश बंद की जाए – जिला स्तरीय समिति वन अधिकार दावेदारों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाए !** एक ओर वन विभाग द्वारा जंगल कटवाया जा रहा है, दूसरी ओर दावेदारों के खेतों में प्लांटेशन लगाने की कोशिश की रही है ! वन अधिकार अधिनियम के धारा 4 (5) में स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि दावों के निराकरण तक किसी भी व्यक्ति को दावों की कार्यवाही पूरी होने तक नहीं उजाड़ा जा सकता है । परंतु 2008-9 से दावे लगाने वाले आदिवासियों के खेतों में 2016 के बाद प्लांटेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू किया गया और दावेदारों को निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है !

6. **हम आदिवासियों के लिए विकास कहाँ है ?**

   शिक्षा व्यवस्था न के बराबर है ! शिक्षा अधिकार कानून के अनुसार, हर तीस बच्चे पर कम से कम एक शिक्षक, हर विषय के लिए अलग शिक्षाक और पहाड़ी इलाकों में हर किलोमीटर पर एक स्कूल की व्यवस्था स्थापित करने के बजाए, **"सीएम राइज़"** योजना के तहत सरकारी स्कूल बंद किए जाने और शिक्षा की निजीकरण के रास्ते खोले जा रहे हैं ! हमारे शिक्षित नौजवान बे -रोजगार भटक रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहें हैं, जबकि प्रदेश में हमेशा लगभग 1 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं ! नियमित शिक्षकों के बदले "दिहाड़ी की मजदूरी" के तथाकथित "अथिति शिक्षकों" के भरोसे शिक्षा व्यवस्था छोड़ा गया है ! **हमारे बच्चो के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे!**

7. **क्या मजदूरी के लिए गाँव से उजड़ना और विस्थापित करना ही आदिवासियों के लिए विकास है?**

   गाँव में रोजगार नहीं है, रोजगार गैरंटी ठप्प है और मात्र भ्रष्टाचार का एक जरिया बन गया है । इस स्थिति में हमारे लोग गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक काम के खोज में भटक रहे हैं । मात्र 15,000-20,000 रूपए का "एडवांस" ले कर सैकड़ों परिवार, अपने बच्चों सहित गन्ने के खेतों में बंधुआ मजदूर बन रहे हैं । **हमें इस तरह उजड़ने और बंधुआ मजदूर बनने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है ? यह कैसा विकास है ?**

8. **किसानों-मजदूरों को अपनी पूरी मेहनत का भाव क्यों नहीं?**

   किसान आयोग (स्वामीनाथन आयोग) के सिफ़ारिश के अनुसार हमें फसलों की लागत पर डेढ़ गुना समर्थन मूल्य पर भाव तय किया जाए ! नेपा क्षेत्र में एक भी मंडी नहीं है और किसानों को 35 किलोमीटर की दूरी नाप कर अपनी फसल बुरहानपुर लाना पड़ता है । **सिवल में नेपानगर क्षेत्र के लिए तुरंत मंडी चालू किया जाए !**

9. बिजली बिल, नए डीपी, नए कनैक्शन के नाम से लाखों रुपए हमसे वसूले जा रहे हैं लेकिन बिजली की आपूर्ति नहीं है। कमजोर ग्रिड के कारण सिंचाई के मोटर लोड नहीं उठा पा रहे है, और फसलों की सिचाई न कर पाने के कारण किसानों को हजारों का नुकसान हो रहा हैं! बिजली व्यवस्था का निजीकरण केवल आम किसान-मजदूर और आदिवासी को लूटने का नया जरिया बनता जा रहा है !

हम आपसे मांग करते हैं कि :

- **निजी और समूदायिक दावों के निराकरण कानून अनुसार तत्काल शुरू किया जाए और प्लांटेशन के नाम पर दावेदारों को उजाड़ना बंद किया जाए ।**
- **छूटे हुए दावों के लिए पोर्टल खुलवाया जाए, ताकि एक प्रशासनिक व्यवस्था के कारण कानून का उल्लंघन न हो ।**

- **वन कटाई को तुरंत रोका जाए और इस मे लिप्त वन और पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्यवाही किया जाए । सभी वन कर्मियों की संपत्ति की जांच किया जाए । विशेषकर वनकर्मी श्री बर्मन, श्री कुशवाह, श्री कपिल, श्री प्रमोद, श्री अनिकेत नाकेदार और पुलिस कर्मी श्री जयसवाल और देवड़ा पर तुरंत कार्यवाही किया जाए ।**
- **'शिक्षा के अधिकार' के संवैधानिक कानून के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बनना चाहिए यानि न्यूनतम रूप से 30 बच्चों पर एक शिक्षक, हर विषय के लिए एक शिक्षक और आदिवासी क्षेत्रों में हर 1 किलोमीटर पर एक स्कूल! शिक्षा अधिकार कानून के मापदंड अनुसार शिक्षकों की नियमित भर्ती होनी चाहिए, सभी पदों पर भर्ती होनी चाहिए और अथिति शिक्षकों के बदले नियमित शिक्षक होने चाहिए । सीएम राइज़ और नयी शिक्षा नीति 2020 के बहाने शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण बंद होना चाहिए ।**
- **युद्ध स्तर पर गाँव में रोजगार खोले जाए । एडवांस पर बंधुआ मजदूरी के व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए श्रम क़ानूनों का पालन करें और बाहर जाने वाले हर मजदूर और उसके मुक़द्दम और ठेकेदार का पंजीयन हो । पेसा कानून अनुसार गाँव से बाहर जाने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर, ग्राम सभा की सिफ़ारिश पर प्रशासन तत्काल कार्यवाही करें !**
- **शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सिंचाई मूलभूत अधिकार हैं ! इनकी चरमराती व्यवस्था के चलते सब विकास के दावें खोकले हैं ! लोगों के लिए अति-आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को बेचना, इनका निजीकरण बंद कर, सभी के लिए उपलब्ध किया जाए! विदेश से आए मेहमानों के दो दिने की खातिरदारी में 200 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार अपनी नागरिकों के लिए इतना तो कर ही सकती है !**

भवदीय,

जागृत आदिवासी दलित संगठन की ओर से,